भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5779

जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

सुगम ऋण प्रवाह के लिए केसीसी तक पहुंच

5779. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऋण प्रवाह को सुगम बनाने, पूर्ण डिजिटल समावेशन प्राप्त करने और राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उक्त राज्यों में बिना किसी संपार्श्विक केसीसी ऋणों को बढ़ाने और यूपीआई के माध्यम से तत्काल, कम दस्तावेजों वाले डिजिटल जारीकरण को सक्षम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच कोई समन्वय किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केसीसी कार्यान्वयन के लिए जिला और पंचायत स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने और व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तक पहुंच बढ़ाने और इसके डिजिटल निर्गम को बढ़ावा देकर छोटे और सीमांत सहित सभी किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देश और सरकार द्वारा बैंकों को बुनियादी स्तर पर कृषि ऋण (जीएलसी) लक्ष्य केसीसी कवरेज को बढ़ाने और किसानों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में प्रमुख नीतिगत लिखतों के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के संबंध में जारी किए गए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, वेतनभोगी बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का कम से कम 18% अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के समतुल्य ऋण, जो भी कृषि के लिए अधिक हो, आबंटित करना अनिवार्य है जिसमें से 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पीएसएल दिशा-निर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (जिसमें कृषि और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण भी शामिल है) को ऋण के तुलनात्मक रूप से कम प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए गैर-प्रोत्साहन ढांचा भी निर्धारित किया गया है।

ii. 2019 से, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कवर करने के लिए केसीसी योजना का विस्तार किया गया है।

iii. भारत सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएस) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। जो किसान तुरंत चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर केवल 4% हो जाती है।

iv. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋणों की सीमा 01 जनवरी 2025 से प्रति उधारकर्ता 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दी गई है। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (क्षेत्र का 86% से अधिक) के लिए ऋण पहुंच को बढ़ाता है, जो कम उधार लेने की लागत और संपार्श्विक आवश्यकताओं को हटाने से लाभान्वित होते हैं।

v. किसानों के बीच केसीसी योजना के लाभों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए केंद्र/राज्य सरकारें, आरबीआई, नाबार्ड और बैंक, वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल), वित्तीय साक्षरता शिविरों (एफएलसी) आदि के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में जनता के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) भी आयोजित करता है।

vi. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में एटीएम-सक्षम डेबिट कार्ड, वन-टाइम दस्तावेज़ीकरण, क्रेडिट सीमा में लागत वृद्धि के लिए अंतर्निहित प्रावधान और स्वीकृत सीमा के भीतर एक से अधिक बार निकासी करने की सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

vii. जन समर्थ पोर्टल को किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार द्वारा प्रायोजित ऋणों और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है। यह ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करने का त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि दोनों राज्यों के बैंक जनसमर्थ पोर्टल पर शामिल हो गए हैं, जिसके माध्यम से किसान केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए ई-केसीसी पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से ऋण आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है, और किसान अपनी शाखाओं में जाए बिना आरआरबी और आरसीबी को अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

viii. इसके अलावा, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों की शुरू से अंत तक डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत यात्राओं की आवश्यकता कम हो गई है।

(ग): सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार करने, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने और सूचना प्रदाता के संरक्षण के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी ग्राहक सेवा दिशानिर्देशों और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 दिशानिर्देशों (1 जुलाई, 2026 से लागू किए जाने वाले, रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 के रूप में अद्यतन) का पालन करना आवश्यक है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पोर्टल बैंक ग्राहकों सहित नागरिकों के लिए सेवा वितरण के संबंध में लोक प्राधिकरणों के पास शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है।

- आरबीआई द्वारा जारी 01 अप्रैल 2025 के लीड बैंक योजना संबंधी मास्टर सर्कुलर के संदर्भ में, जिले के प्रमुख जिला प्रबंधक (एलडीएम) को विभिन्न स्थानों पर एक त्रैमासिक सार्वजनिक बैठक बुलाने की आवश्यकता होती है ताकि जितना संभव हो उतनी शिकायतों का निवारण किया जा सके या इस तरह के निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र से संपर्क करने की सुविधा मिल सके। इसके अलावा, ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठकों में शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
- एसएलबीसी, मध्य प्रदेश ने सूचित किया है कि केसीसी उधारकर्ता/आवेदक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और जिला कलेक्टर के "जन सुनवाई" तंत्र के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अलग-अलग बैंकों ने भी सीवीसी के दिशानिर्देशों/कंपनी अधिनियम/भारतीय रिजर्व बैंक के यथा-प्रयोज्य दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अपना स्वयं का सचेतक तंत्र स्थापित किया है।
